संoसंo—1/प्र0नर्स—02/2018—103(1) व्0

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना,
प्रभावती अस्पताल, गया,
एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।

पटना, दिनांक— 8 / 02 /2019

विषयः— **प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड—20—2210051050012 अंतर्गत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना, प्रभावती अस्पताल, गया एवं एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया को वेतन एवं भत्ते तथा विभिन्न मदों में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में वित्तीय वर्ष 2018—19 में कुल रू0 51,36,000/— (रुपये इक्यावन लाख छत्तीस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना का पत्रांक—251, दिनांक—07.01.2019, प्रभावती अस्पताल, गया का पत्रांक—08, दिनांक—11.01.2019 एवं एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) का पत्रांक—1492, दिनांक—28.12.2018 के आलोक में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में संलग्न विवरणी के अनुसार प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड—20—2210051050012 अंतर्गत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना, प्रभावती अस्पताल, गया एवं एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया को वेतन एवं भत्ते तथा विभिन्न मदों में कुल रु0 51,36,000/—(रुपये इक्यावन लाख छत्तीस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक—17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक—06.05.06, 96/वि0(2) दिनांक—09.01.08 सह—पठित संकल्प संख्या—2190/वि0(2), दिनांक—17.03.08, 2938/वि0(2), दिनांक—08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक—18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना, अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया एवं अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0012—प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड—20—2210051050012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 के आय—व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण—पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्रमशः

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

9. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/प्र0नर्स–02/2018–/03(1)90 /स्वा0, पटना, दिनांक– 8 /02/2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ग्रेड "ए" नर्सिंग स्कूल एवं गैर जनजातीय क्षेत्र में अवस्थित जी0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल का वित्तीय वर्ष 2018–19 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी विपत्र कोड–20–2210051050012

प्राथमिक ईकाई	संयुक्त बजट उपबंध	कुल संयुक्त बजट उपबंध	पूर्व का कुल संयुक्त आवंटन	पी0एम0सी0एच0, पटना को वर्तमान आवंटन	प्रभावती अस्पताल, गया को वर्तमान आवंटन	एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया को वर्तमान आवंटन	वर्तमान कुल आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0012.01.01 वेतन	57000000	57000000	46150000	0	550000	1500000	2050000	48200000	8800000
0012.01.03 जीवन यापन भत्ता	5700000	5700000	4675000	0	60000	100000	160000	4835000	865000
0012.01.04 मकान किराया भत्ता	9046000	9046000	6734500	0	80000	140000	220000	6954500	2091500
0012.01.05 परिवहन भत्ता	1470000	1470000	1142500	0	6000	7500	13500	1156000	314000
0012.01.06 चिकित्सा भत्ता	300000	300000	235000	0	2500	3000	5500	240500	59500
0012.01.07 अन्य भत्ता	135000	135000	104250	0	1500	1500	3000	107250	27750
योग– वेतन एवं भत्ते	**73651000**	**73651000**	**59041250**	**0**	**700000**	**1752000**	**2452000**	**61493250**	**12157750**
0012.13.01 कार्यालय व्यय	2500000	2500000	2020000	0	200000	0	200000	2220000	280000
0012.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	5000000	5000000	2200000		200000	0	200000	2400000	2600000
0012.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	40000000	44772000	42488000	1984000	300000	0	2284000	44772000	0
कुल योग –	**121151000**	**125923000**	**105749250**	**1984000**	**1400000**	**1752000**	**5136000**	**110885250**	**15037750**

(रुपये इक्यावन लाख छत्तीस हजार)

103(1)ब0
8-02-19

सरकार के विशेष सचिव